फर्द अहकाम

करणा मोदी बनाम राजेश

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 53/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O-7 R-11 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा० पत्र दिनांक 13/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O-7 R-11 के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड व प्रा० पत्र O-7 R-11, व जवाब प्रा० पत्र O-7 R-11 के तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वयं के तथाकथित/अलिखित [illegible] विभाजन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि प्रार्थी वादी के नाम अंकित नहीं है तथा स्थापित प्रावधानों अनुसार केवल अभिलिखित खातेदार काश्तकार द्वारा ही विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वादी द्वारा अभिलिखित सहखातेदार के रूप में अंकित ओसवाल स्टोन क्रेशिंग प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पवन कुमार बुगानिया को वाद में आवश्यक व प्रभावी पक्षकार के रूप में पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है, ना ही स्वयं को नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किए जाने (घोषित किए जाने) का	

P.T.O.

फर्द अहकाम

(3)

करणा मोदी बनाम राजेश

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 53/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/05/24	कोई अनुतोष चाहा गया है। साथ ही प्रकरण के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उभयपक्षकारान द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा कृषि भूमि पर अकृषि/व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। जिससे अकृषि भूमि के रूप में उपयोगित भूमि के विभाजन के संदर्भ में कार्यवाही न्यायालय हाजा में विचारणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र धारा प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से, पोषणीय नहीं होने के आधार पर आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	